<u>जनपद न्यायालय, वाराणसी।</u>

<u>नीलामी सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी परिसर में स्थित वर्ष 2026–27 के लिए 19 दुकानों व वाहन स्टैण्ड की नीलामी दिनांक 27.03.2026 को समय 12:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी दिनांक 30.03.2026 को समय 12:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र तथा नियमो एवं शर्तो की जानकारी जनपद न्यायालय, वाराणसी के नजारत कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। विस्तृत विवरण हेतु नोटिस बोर्ड एवं न्यायालय के वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते है।

(देवकान्त शुक्ला)
अध्यक्ष–नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, वाराणसी

माननीय महोदय,

माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक 21.02.2026 के अनुपालन में नीलामी समिति के सदस्यों की बैठक आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे विश्राम कक्ष में दोपहर 1:30 बजे आहूत की गयी। सभी सदस्यगण उपस्थित आयें। समिति द्वारा जनपद न्यायालय वाराणसी परिसर स्थित दुकानों व वाहन स्टैण्ड की वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए की जाने वाली नीलामी की प्रकिया आदि के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया।

केन्द्रीय नाजिर द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर परिसर में स्थित कुल 19 दुकानों व 01 वाहन स्टैण्ड के नीलामी करायी जानी है।

केन्द्रीय नाजिर द्वारा यह भी बताया गया कि सभी दुकानों के लिये इस वर्ष की नीलामी दर में होने वाले वृद्धि को रोकने अथवा पुर्नस्थापित किये जाने हेतु पूर्व आवंटियों द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र को उचित दिशानिर्देश प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्रांक 189/XV दिनांकित 17.04.2024 तथा 45/XV दिनांकित 12.02.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नही हुआ है।

सदस्यगण द्वारा परिसर स्थित वाहन स्टैण्ड की नीलामी के लिए वर्तमान की तथ्यों/परिस्थितियों पर विचार विमर्श किया गया । केन्द्रीय नाजिर द्वारा बताया गया कि वाहन स्टैण्ड के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यालय, लोक निर्माण विभाग वाराणसी द्वारा पत्रांक 4957 दिनांकित 27.09.2025 से अवगत कराया गया है कि इस परिसर में कुल 247 वाहन पार्क किये जा सकते हैं। नगर निगम द्वारा नजदीक के वाहन स्टैण्ड में प्रति वाहन 15/– रूपये की दर निर्धारित है।

उपरोक्त आधार पर नीलामी समिति परिसर स्थित वाहन स्टैण्ड का वार्षिक मूल्य निर्धारण 247 X 15 X 25 X 12 = 11,11,500/– रूपये किये जाने तथा शेष सभी दुकानों के लिये वर्ष 2025–26 के लिए स्वीकृत की गयी धनराशि को ही इस वर्ष के लिए न्युनतम बोली के रुप में निर्धारित किये जाने की अनुशंसा करती है।

नीलामी समिति के सदस्यगण द्वारा सभी तथ्यों/परिस्थितियों पर विचार विमर्श करते हुये नीलामी की तिथि सर्वसम्मति से दिनांक **27.03.2026** तय किया गया व नीलामी की शर्ते आदि भी तय की गयी। नीलामी की शर्तें अलग प्रपत्र पर माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

(मनीष कुमार–।।) सदस्य, नीलामी समिति मुख्य न्यायिक मजि0, वाराणसी	B. Toolika 23/02/26. (तूलिका बन्धु) सदस्य, नीलामी समिति लघुवाद न्यायाधीश, वाराणसी	(राजवेन्द्र विक्रम सिंह) सदस्य, नीलामी समिति अपर जिला जज कक्ष सं0–5, वाराणसी	Dev 23/2/26 (देवकान्त शुक्ला) अध्यक्ष, नीलामी समिति, अपर जिला जज कक्ष सं0–1, वाराणसी

Approved
23/2/26

जनपद न्यायालय, वाराणसी

नीलामी अधिसूचना वर्ष 2026–27 के नियम व शर्ते

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी के परिसर में स्थित दुकानो/स्टालों/ठेकों/साइकिल स्टैण्ड की वर्ष 2026–27 की नीलामी दिनांक 27.03.2026 को नियत की गयी है, जो कि उक्त दिवस को दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में समय 12:00 बजे से सायं 04:00 के बीच सम्पन्न की जायेगी। इस नीलामी की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित है:–

1– नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियो को इससे पूर्व परिसर में कोई भी दुकान/ठेका आवंटित किया गया था, से सम्बन्धित नीलामी धनराशि अवशेष होने की दशा में उन्हे इस नीलामी में किसी भी दुकान/ठेका की नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

2– नीलामी के लिए आवेदन फार्म मु0 200/– रूपये का भुगतान कर नजारत कार्यालय से दिनांक **25.03.2026** तक प्राप्त किये जा सकते है।

3– नीलामी हेतु आवेदनकर्ता को सम्बन्धित दुकान/ठेके की स्वीकृत न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत का **बैंक ड्राफ्ट जिला जज, वाराणसी** के नाम से बनवाकर प्रतिभूति के रूप में आवेदन फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

4– सभी प्रकार से भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रतिभूति धनराशि नजारत कार्यालय में दिनांक **25.03.2026 को सायं 05:00 बजे तक** अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिये जाये। इस तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

5– नीलामी के उपरान्त प्रत्येक **आवंटियों को वर्ष 2026–27 के लिए निर्धारित धनराशि का 25 प्रतिशत दिनांक 27.03.2026 को ही नजारत कार्यालय में जमा करना होगा।** शेष धनराशि को दिसम्बर–2026 तक (तीन बराबर किस्तो में जो जून–2026, सितम्बर–2026 तथा अंतिम किस्त दिसम्बर–2026) में भुगतान करना अनिवार्य होगा। नीलामी की ये किस्ते हर त्रैमास शुरू होने के पूर्व ही जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर ठेका/आवंटन जिला न्यायाधीश के द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

6– नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, अपने राशन कार्ड, आधार संख्या व किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित पासपोर्ट साईज का फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे संबन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा। इन प्रपत्रो के अभाव में किसी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

7– नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियो में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।

8– किसी भी दशा में प्रत्येक दुकान/ठेको की नीलामी राशि वर्ष 2025–26 की नीलामी की राशि की तुलना में इस वर्ष कम में स्वीकार नही की जायेगी।

9– जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर एक संविदा, जो कि मूल्य सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर होगा जो आवंटन प्राप्त कर्ता द्वारा क्रय किया जायेगा, निष्पादित करनी होगी। संविदा निष्पादित न करने वाले दुकानदार/ठेकेदार को दुकान/ठेका चलाने की अनुमति नही दी जायेगी। आवंटियो को बोली स्वीकृत होते ही स्वयं के नाम क्रय किया हुआ रू0 100/– का स्टाम्प पेपर नीलामी की तिथि को ही अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

10– प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार अपनी दुकान ठेके में उन्ही वस्तुओ की बिक्री अथवा ठेके का संचालन करेगा, जिसके निमित्त उसे दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, किसी भी दुकानदार/ठेकेदार को अपने हाकर द्वारा न्यायालय परिसर में घूम–घूम कर सामानो की बिक्री कराये जाने का अधिकार नही होगा। उपरोक्त प्रतिबंधो का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

11– प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार को न्यायालय परिसर में जिस स्थान विशेष पर अथवा जितने क्षेत्रफल पर दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, उसे उतने क्षेत्रफल एवं उसी स्थिति में ही अपने दुकान/ठेको को चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। आवंटी को अपनी दुकान/ठेके के स्थल की साफ सफाई भी स्वयं रखनी होगी एवं कूड़ेदान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेका आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।यदि आबंटी किसी सहायक को रख कर अपना काम कराता है तो उसका पहचान पत्र व आधार नजारत कार्यालय में जमा करेगा।

12– वर्ष 2026–27 के लिये आवंटित दुकानो/ठेको का आवंटन दिनांक 31.03.2027 को स्वमेव समाप्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियो में इस अवधि के पूर्व भी माननीय जनपद न्यायाधीश वाराणसी द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटन प्राप्त कर्ता प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार द्वारा अपने अपने ठेके को चलाने के लिए प्राप्त आवंटित स्थल पर यदि कोई निर्माण आवश्यक हो तो जनपद न्यायाधीश महोदय से अनुमति लेकर ही करेंगे जो कि पूर्णतया अस्थाई होगा, एवं उसे वह दिनांक 31.03.2027 तक आबंटित अवधि के पश्चात उक्त स्थल से अपने व्यय से हटा लेगा। **यदि आवंटियो द्वारा किसी भी प्रकार से विद्युत का उपभोग उनके कार्य के लिए आवश्यक है तो सम्बन्धित आवंटी ही अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेगा। आबंटी किसी भी दशा में परिसर में आपूर्ति की जा रही सरकारी विद्युत का प्रयोग नही करेगा।** इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेका का आबंटन जनपद न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13– यदि किसी कारण वर्ष 2026–27 में अथवा उक्त वर्ष के किसी भी अवधि में न्यायालय बन्द रहता है या किसी कारणवश दुकान/ठेका के खुलने में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसकी कोई जिम्मेदारी माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी की नही होगी तथा किसी भी न्यायालयी प्रयोजन हेतु दुकान/ठेके के स्थान को उपयोग करने का सर्वाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को होगा। इसके लिए नीलामी की राशि में कोई छूट नही की जायेगी।

(मनीष कुमार–II)	B. Toolika 23/02/26 (तूलिका बन्धु)	(यजुवेन्द्र विक्रम सिंह)	23/2/26 (देवकान्त शुक्ला)
सदस्य, नीलामी समिति	सदस्य, नीलामी समिति	सदस्य, नीलामी समिति	अध्यक्ष, नीलामी समिति,
मुख्य न्यायिक मजि0,	लघुवाद न्यायाधीश,	अपर जिला जज	अपर जिला जज
वाराणसी	वाराणसी	कक्ष सं0–5, वाराणसी	कक्ष सं0–1, वाराणसी

Approved
23/2/26

जनपद न्यायालय, वाराणसी।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय वाराणसी के विभिन्न न्यायालयों/कार्यालयों/विश्राम कक्षों के पुराने व खराब निष्प्रयोज्य सामग्रियों को जो नजारत परिसर में रखे हुये हैं, की नीलामी दिनांक 30.03.2026 को समय 12:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

नीलाम की जाने वाली सामग्रियों का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम सं0	विद्युत उपकरण का नाम	मात्रा	संस्था द्वारा प्रस्तुत दर प्रति	कुल दर
1	लोहे का छोटा रैक	02 अदद	20/कि0ग्रा0	....
2	ऑफिस टेबल (लकड़ी)	03 अदद	02/कि0ग्रा0 + 20/कि0ग्रा0	....
3	ऑफिस टेबल (लोहा)	02 अदद	16/कि0ग्रा0	....
4	लोहे की कुर्सी	01 अदद	20/कि0ग्रा0	....
5	लोहे की छोटी आलमारी	03 अदद	16/कि0ग्रा0	....
6	लोहे की बड़ी आलमारी	16 अदद	16/कि0ग्रा0	—
7	रिवाल्विंग चेयर	01 अदद	300/अदद	—
8	बुक सेल्फ, लोहा	01 अदद	20/कि0ग्रा0	—
9	लोहे का बड़ा रैक	02 अदद	20/कि0ग्रा0	—
10	स्ट्रीट लाईट (फ्रेम, पाईप सहित)	01 अदद	25/कि0ग्रा0	—
11	सर्वर कक्ष में लगा स्प्लिट ए0सी0	03 अदद	2500/अदद	—
12	पुरानी साइक्लो स्टाइल मशीन	01 अदद	26/कि0ग्रा0	—
13	फोटोस्टेट मशीन	03 अदद	800/अदद	—
14	पुराना स्टैबलाइजर	05 अदद	250/अदद	—
15	पानी की टंकी	06 अदद	10/कि0ग्रा0	—
16	लोहे का कूलर	01 अदद	300/अदद	—
17	स्टील बेंच	03 नग	50/कि0ग्रा0	—
18	टी–5	20 नग	30/ अदद	—
19	ट्यूबलाईट	193 नग	निल	—
20	चोक	35 नग	निल	30/अदद
21	एल0ई0डी0 बल्ब, छोटा	50 नग	निल	5/अदद
22	एल0ई0डी0 बल्ब, बड़ा	40 नग	निल	7/अदद
23	कंडेंसर	40 नग	निल	2/अदद
24	रेगुलेटर	05 नग	निल	20/अदद
25	घण्टी	06 नग	निल	10/अदद
26	लोहा फ्रेम	12 नग	30/कि0ग्रा0	—
27	वाहन से निकली सामग्रियाँ	01 कार्टून	100/कार्टून	....
28	मोटी लकड़ी का टूकड़ा	02 नग	02/कि0ग्रा0	—

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियमों एवं शर्तों की जानकारी दीवानी न्यायालय, वाराणसी के नोटिस बोर्ड अथवा नजारत कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

२५/२/२६

(देवकान्त शुक्ला)
अध्यक्ष–नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, वाराणसी

जनपद न्यायालय, वाराणसी

नीलामी के नियम व शर्ते

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय वाराणसी के नजारत परिसर में रखे विभिन्न न्यायालय/कार्यालयों से प्राप्त कई प्रकार के अप्रयुक्त सामग्रियों की नीलामी दिनांक 30.03.2026 को नियत की गयी है, जो कि उक्त दिवस को दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में समय 02:00 बजे से सायं 04:00 के बीच सम्पन्न की जायेगी। इस नीलामी की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित हैः–

1– उक्त सामग्रियों की नीलामी हेतु कुल **न्यूनतम धनराशि मु0 10,000/– रूपये** निर्धारित की गयी है।

2– नीलामी के लिए आवेदन फार्म मु0 200/– रूपये का भुगतान कर नजारत कार्यालय से दिनांक **28.03.2026** तक प्राप्त किये जा सकते है।

3– नीलामी हेतु आवेदनकर्ता को स्वीकृत न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत नकद अथवा **बैंक ड्राफ्ट जिला जज, वाराणसी** के नाम से बनवाकर प्रतिभूति के रूप में आवेदन फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

4– सभी प्रकार से भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रतिभूति धनराशि नजारत कार्यालय में दिनांक **28.03.2026 को सायं 05:00 बजे तक** अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिये जाये। इस तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

5– नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना निवास प्रमाण पत्र, अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड व पासपोर्ट साईज का फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे संबन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

6– नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियो में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।

7– किसी भी दशा में नीलामी राशि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि से कम स्वीकार नही की जायेगी। सभी सामग्रियों की बोली एक साथ कुल न्यूनतम धनराशि से ही प्रारम्भ करायी जायेगी।

8– नीलामी प्राप्त करने वाले को अंतिम रूप से स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि नकद या चेक के माध्यम से उसी तिथि अथवा अगले कार्यदिवस में नजारत कार्यालय में जमा करनी होगी।

9– नीलामी प्राप्त कर्ता को नीलाम हुये सामग्रियों को स्टोर से हटाने के लिए नीलामी सम्पन्न होने के दूसरे तिथि से अधिकतम एक सप्ताह का समय प्रदान किया जायेगा।

(मनीष कुमार–।।)	(तूलिका बन्धु)	(यजुवेन्द्र विक्रम सिंह)	(देवकान्त शुक्ला) 24/2/26
सदस्य, नीलामी समिति	सदस्य, नीलामी समिति	सदस्य, नीलामी समिति	अध्यक्ष, नीलामी समिति
मुख्य न्यायिक मजि0,	लघुवाद न्यायाधीश,	अपर जिला जज,	अपर जिला जज,
वाराणसी	वाराणसी	कक्ष सं0–05, वाराणसी	कक्ष सं0–01, वाराणसी

Approved
24/4/26

जनपद न्यायालय, वाराणसी

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, वाराणसी राजकीय वाहन यू0पी0 65 ए.जी.1075 महिन्द्रा बोलेरो तथा यू0पी0 65 ए.जी.0666 महिन् बोलेरो के पुराने कुल 08 टायरों की नीलामी दिनांक **16.03.2026** को समय 04:00 ब दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नीलामी हेतु अपनी प्रस्तावित दर (प्रति टायर) की मुहर बंद निविदायें नजारत कार्यालय में दिनांक 16.03.2026 अपरा 12:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। निविदायें दिनांक **16.03 2026** को समय 04:00 बजे से दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा खोली जायेंगी।

आवेदन पत्र तथा नियमो एवं शर्तो की जानकारी जनपद न्यायालय, वाराणसी के नजारत कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। विस्तृत विवरण हेतु नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते है।

(देवकान्त शुक्ला)
अध्यक्ष, नीलामी समिति
अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं0–01
जनपद न्यायालय, वाराणसी